न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशवरायपाटन जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— दुर्गाशंकर मीना (RAS)

वादपत्र संख्या :— 73/2019

1. फोरया आयु 45 वर्ष आ0 हीरा जाति गुर्जर निवासी ग्राम रघुनाथपुरा तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी राज.

—वादी

बनाम

1. कालू आ0 आ0 हीरा जाति गुर्जर निवासी ग्राम रघुनाथपुरा तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी राज.
2. मुकेश आ0 हेमराज जाति गुर्जर निवासी ग्राम कोडिजा तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी राज.
3. लोकेश आ0 हेमराज जाति गुर्जर निवासी ग्राम कोडिजा तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी राज.
4. प्रेम बाई पत्नि स्व0 हेमराज जाति गुर्जर निवासी ग्राम कोडिजा तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी राज.
5. कमलेश पत्नि हनुमान जाति गुर्जर निवासी ग्राम रघुनाथपुरा तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी राज.
6. हनुमान आ0 रामलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम रघुनाथपुरा तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी राज.
7. ललता बाई पुत्री हीरा पत्नि रामरतन जाति गुर्जर निवासी ग्राम सारसला तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी राज.
8. शान्तिबाई पत्नि स्व0 हीरा जाति गुर्जर निवासी ग्राम रघुनाथपुरा तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी राज.
9. कैलाश बाई पत्नि शंकरलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम रघुनाथपुरा तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी राज.

उपखण्ड अधिकारी
के. पाटन (बून्दी)

Scanned by CamScanner

10. राजस्थान राज्य सरकार (भूमिधारी) जर्ये तहसीलदार सा. केशवरायपाटन जिला बून्दी राज0।

–प्रतिवादीगण

वाद :– बंटवारा कृषि भूमि व दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 53,89 राज0 टि0 एक्ट

उपस्थित :–

1. वादी की ओर से श्री केशव कुमार दाधीच एडवोकेट
2. प्रतिवादी की ओर से श्री रामेतिराम गोड़, एडवोकेट।

–: निर्णय :– दिनांक – 07.10.2019

1. वादी के द्वारा दिनांक 14.05.2019 को वाद बंटवारा भूमि व दुरस्ती का पेश किया गया।
2. वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खाता सं. 15 की ख.सं. 529 रकबा 1.72 है0, ख.सं. 530 रकबा 0.64 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.36 है0 वाक ग्राम रघुनाथपुरा पटवार क्षैत्र करवाला तहसील के0 पाटन जिला बून्दी में स्थित है जिसमें वादी व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 8 का हिस्सा जमाबन्दी अनुसार दर्ज है। आराजी खाता सं. 16 में ख.सं. 503 रकबा 0.15 है0, ख.सं. 514 रकबा 0.34 है0, ख.सं. 515 रकबा 0.43 है0, ख.सं. 534 रकबा 0.75 है0, ख.सं. 536 रकबा 0.49 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 2.16 है0 वाके ग्राम रघुनाथपुरा पटवार क्षैत्र करवाला तहसील के0 पाटन जिला बून्दी में रिथत है जिसमें वादी व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 9 का हिस्सा जमाबन्दी अनुसार दर्ज है। उक्त वर्णित आराजी वादी को विरासत में प्राप्त हुई है। वादी कुल 4 भाई क्रमशः हेमराज, गोपाल, कालू व वादी स्वयं है। जिनमें से हेमराज की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिसान प्रतिवादी सं. 2 लगायत 4 है तथा गोपाल लाऔलाद फौत हो चुका है इस कारण वर्तमान में मृतक गोपाल के कानूनी वारिस वादी, प्रतिवादी क्रम 1 ही है। मृतक गोपाल के हिस्से की भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
के. पाटन (बून्दी)

Scanned by CamScanner

कम 1 का नाम दर्ज किया जाना अनिवार्य है। उक्त वर्णित कृषि भूमि में वादी के अतिरिक्त प्रतिवादीगण 1 लगायत 9 सहखातेदार अंकित है और सभी क मध्य बाहमी बंटवारा हो रहा है किन्तु वादी चाहता है कि वादी का हिस्सा अलग कर पृथक से खाते में अंकन कर विधिवत् बंटवारा किया जाना आवश्यक है किन्तु प्रतिवादीगण एकराय नही है व बंटवारा करान के लिये तहसील में नही आ पाते है इसलिये वादी के लिये आवश्यक हो गया है कि वह प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद दायर कर अपने हिस्से एवं मृतक गोपाल के 1/2 हिस्से में स्वयं का नाम दर्ज कराकर विधिवत् बंटवारा करवाकर खाता, कब्जा अलग–अलग करवा लेवे।

3. वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रति.सं. 1 लगायत 6 व प्रति. सं. 8 ने इकबालिया जवाब पेश किया एवं वादी व प्रतिवादीण ने आपसी सहमति का दिनांक 26.09.2019 को राजीनामा पेश किया।
4. बहस उभय पक्ष सुनी गई। उभयपक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दि0 26.09.2019 को बाद जॉच तस्दीक किया गया। राजीनामा तथा इकबालिया जवाब के आधार पर वादीगण का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

–::निर्णय::–

परिणामस्वरूप वादीगण का वादपत्र राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है। खाता सं. 15 की ख.सं. 529 रकबा 1.72 है0 में से 1.44 है0 रोड के सहारे पश्चिम में, खाता सं. 16 ख.सं. 503 रकबा 0.15 है0 में से 0.07 है0 पश्चिम में कुल किता 2 कुल रकबा 1.51 है0 वाके ग्राम रघुनाथपुरा तहसील के0 पाटन वादी फोरिया, प्रतिवादी कालू, मुकेश, हेमराज, प्रेमबाई, ललताबाई व शान्तिबाई के खाते एवं हिस्से में रहेगी। खाता सं. 16 की ख.सं. 514 रकबा 0.34 है0 सम्पूर्ण, ख.सं. 515 रकबा 0.43 है0 सम्पूर्ण ख.सं. 534 रकबा 0.75 है0 सम्पूर्ण कुल किता 3 कुल रकबा 1.52 है0 वाके ग्राम रघुनाथपुरा तहसील के0 पाटन प्रतिवादी सं. 5 कमलेश के खाते एवं हिस्से में रहेगी। खाता सं. 16 की ख.सं. 503 रकबा 0.15 है0 में से 0.08 है0 पूरब में, ख.सं. 536 रकबा 0.49 है0 में से 0.21 है0 पूरब में कुल किता 2 कुल रकबा 0.29 है0 वाके ग्राम रघुनाथपुरा तहसील के0 पाटन प्रतिवादी सं. 6 हनुमान के खाते एवं हिस्से में रहेगी। खाता

उपखण्ड अधिकारी
के. पाटन (बून्दी)

Scanned by CamScanner

सं. 16 की ख.सं. 536 रकबा 0.49 है0 में से 0.28 है0 पश्चिम में, खाता सं. 15 की ख.सं. 529 रकबा 1.72 है0 में से 0.28 है0 पश्चिम में, ख.सं. 530 रकबा 0.64 है0 सम्पूर्ण कुल किता 3 कुल रकबा 1.20 है0 वाके ग्राम रघुनाथपुरा तहसील के0 पाटन प्रतिवादी सं. 9 कैलाश के खाते एवं हिस्से में रहेगी तथा कृषि भूमि पर रहन बदस्तुर रहेगा। तहसीलदार के0 पाटन को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। उक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07.10.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी * के0 पाटन *

(दुर्गाशंकर मीना)
उपखण्डअधिकारी
के0पाटन

उपखण्ड अधिकारी
के. पाटन (बून्दी)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Shankar Mina
Date: 2019.11.21 13:04:19 IST
Reason: SelfAttested
Location: